न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रकरण सख्या : 18/2019
बउनवानः–

सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

भैरूलाल पुत्र माधोलाल वगै0 जाति धाकड निवासी भटेडिया तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

दायरा दिनांकः 13.02.2019 निर्णय दिनांक : 13.02.2019

पटवारी हल्का मऊ, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम चक भटेडिया में वर्ष 1997–1998 में ब्लॉक अरनिया ए के तहत केचमेंट के दौराने सेटलमेंट खसरा नं0 3 रकबा 3.38 है0 में से 1.38 है0 एवं खसरा नं0 5 रकबा 2.79 है0 में से 0.89 है0 केचमेंट में लिये जाने के बाद खसरा नं0 3 का रकबा 2.00 है0 एवं खसरा नं0 5 का रकबा 1.90 है0 वर्तमान में दर्ज रहना चाहिए था। वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नं0 3 दर्ज नही है एवं खसरा नं0 5(खसरा नं0 5/230 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 5/231 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 5/232 रकबा 0.64 है0 किता 3 रकबा 2.12 है0) का रकबा 2.12 है0 दर्ज है जो कि 0.22 है0 बेशी दर्ज है। जो कम किया जाना है।

केचमेंट में खसरा नं0 3 का रकबा 1.38 है0 रेकार्ड अनुसार किया जाना दर्शाया गया है परन्तु नक्शे एवं मौके अनुसार रकबा ज्यादा किया गया है। नवीन केचमेंट नक्शे अनुसार खसरा नं0 194 रकबा 0.45 है0 बनाया गया है परन्तु फर्द इख्तलाफ में उसको नही बताया गया है जो गत नक्शे अनुसार पुराने खसरा नं0 3 से ही बनाया गया है जो जमाबंदी में दर्ज किया जाना उचित है इसी प्रकार खसरा नं0 37 कुल रकबा 0.28 है0 में से 0.25 है0 केचमेंट में लेना बताया गया है। परन्तु मौके नक्शे अनुसार सम्पूर्ण रकबा लिया गया है। उक्त खसरा नं0 37 से नवीन केचमेंट खसरा नं0 160 रकबा 0.04 है0 सिवायचक बनाया गया है उक्त सेटलमेंट खसरा नं0 37 का रकबा 0.03 है0 हाल खसरा नं0 160 रकबा 0.04 है0 में मिलाकर खसरा नं0 160 का कुल रकबा 0.07 है0 दर्ज किया जाना उचित है।

उक्त भिन्नता के कारण वर्तमान जमाबंदी के कुल चक का मिलान सेटलमेंट से नही हो पा रहा है इसलिए चक को सेटलमेंट के रकबे अनुसार आदिनांक करने हेतु सेटलमेंट खसरा नं0 3 के केचमेंट से बाहर रहे 2.

है० रकबा को निम्न प्रकार जमाबंदी में दर्ज किय जाना उचित होगा। सेटलमेंट खसरा नं0 3 रकबा 2.00 है0, को केचमेंट खसरा नं0 194 रकबा 0.45 है0, केचमेंट से शेष खसरा नं0 3 रकबा 1.55 है0।
अतः ग्राम चक भटेडिया के खसरा नं0 5(खसरा नं0 5/230 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 5/231 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 5/232 रकबा 0.64 है0 किता 3 रकबा 2.12 है0) सरकारी खसरा नं0 5/232 रकबा 0.64 है0 में से 0.22 है0 रकबा कम करके 0.64 है0 के स्थान पर 5/232 रकबा 0.42 है0 खसरा नं0 3 रकबा 1.55 है0 एवं केचमेंट खसरा नं0 194 रकबा 0.45 है0 खाता सरकार तथा हाल खसरा नं0 160 का रकबा 0.04 है0 के स्थान पर 0.07 है0 दर्ज किया जाना उचित होगा।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल द्वारा मय अनुशंषा प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 13.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के समस्त सलंग्न दस्तावेजात 1– फर्द इख्तलाफ केचमेंट ब्लॉक अरिनया ए वर्ष 1997–98 2. नक्शा ट्रेस ग्राम चक भटेडिया ब्लॉक अरनिया ए 3. फर्द इख्तलाफ केचमेंट ब्लॉक लक्ष्मीपुरा 4. नामान्तरकण रजिस्टर ग्राम भटेडिया की प्रमाणित प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि ग्राम चक भटेडिया के खसरा नं0 5(खसरा नं0 5/230 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 5/231 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 5/232 रकबा 0.64 है0 किता 3 रकबा 2.12 है0) सरकारी खसरा नं0 5/232 रकबा 0.64 है0 में से 0.22 है0 रकबा कम करके 0.64 है0 के स्थान पर 5/232 रकबा 0.42 है0 खसरा नं0 3 रकबा 1.55 है0 एवं केचमेंट खसरा नं0 194 रकबा 0.45 है0 खाता सरकार तथा हाल खसरा नं0 160 का रकबा 0.04 है0 के स्थान पर 0.07 है0 दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।